रामगंजमण्डी

25/2/21 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रकरण में
अन्य वाद मि० नं० 65/2013 का इस वाद
के साथ संयुक्त निर्णय पारित किया गया।
वाद वादी खारिज किया गया। निर्णय
दोनों पत्रावलियों में शा.मा. रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/21	इस न्यायालय में दो वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किये गये। दोनो दावे एक ही दिन अर्थात दिनांक 27.06.2013 को दर्ज किये गये जिनके मिसल नम्बर 65/2013 तथा 67/2013 है। दोनो ही दावों में ग्राम कुल्मी की भूमि खसरा नम्बर 2268 रकबा 1.50 हैo के खातेदार के विरुद्ध समान अनुतोष चाहा गया है। प्रकरणों का विवरण एवं अनुतोषादि समान होने से दोनो दावों का एक ही आदेश से निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दोनो दावो को एक साथ एक ही आदेश से विनिश्चय किया जा रहा है। दोनो प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी क्रमशः—	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार की हुक्म की तामील ... है आदी
	को तौहीन का निवेदन किया कि वादीगण की भूमि के सामने खसरा नम्बर २२६८ की भूमि खसरा नम्बर २२६०, २२६२, २२६३, २२६६ के सामने पड़त पड़ी हुई है। वादीगण उक्त भूमि का निर्बाध आवागमन हेतु प्रयोग करते चले आ रहे है। उक्त पड़त भूमि को रास्ते के रूप में प्रयोग आ रही है उसका बैनामा कर दिया गया, जिस पर कब्जा प्रति० का नहीं है। उक्त भूमि का कब्जा बिना अकबाये बैनामा किया गया है, अतः उक्त भूमि के विक्रय पत्र का नामान्तरण दर्ज नहीं किया जावे। साथ ही प्रति० को पाबंद किया जावे, कि वे उक्त भूमि का वादीगण को निर्बाध उपयोग उपभोग करते रहने दें।	
	बाद बहस हमने उभय पक्षों का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रति० के जवाब, जवाब के तथ्य, अनुतोष, एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक विचार किया।	
	वादी के वादपत्र एवं जवाब के आधार पर प्रकरण सं. 67/2013 में निम्न तनकी कायम की गयी।	
	तनकी नम्बर 1:- आया वादी ग्राम फुलवी की भूमि ख० नं० 2268 रकबा 1.50 है० के संबंध में उपयोग उपभोग की घोषणा प्राप्त करने तथा उक्त भूमि पर प्रति० 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।	
	जिम्मे वादी	

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी नं. 2 :— आया वादी वादग्रस्त भूमि के विक्रयपत्र को निरस्त कराकर वादग्रस्त भूमि को विक्रयपत्र दर्ज कराने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण तनकी नं. 3 :— आया वादग्रस्त खेत नं. 2268 रकबा 1.50 हे० भूमि प्रति० नं. 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिम्मे प्रति. । तनकी नं. 4 :— आया वाद का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। जिम्मे प्रति. । तनकी नं. 5 :— अनुतोष वाद कायमी तनकियात फरीकान को अपने अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के अवसर दिये। दौराने कार्यवाही मि. नं. 65/13 में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी भी समाप्त की गई। प्रदर्श सं. 67/13 में वादीगण के द्वारा शपथपत्र छोटीलाल पुत्र कन्हैयालाल व बदाम बाई पत्नी कन्हैयालाल सहित नकल जमाबंदी ग्राम जुल्मी संवत् 2004-25 (बन्दोबस्त) खाता नं. 710 प्रदर्श-1, नकल खसरा गिरदावरी जुल्मी सं. 2067-70 खेत नं. 2262 व 2269 प्रदर्श-2, नकल नक्शा ट्रेस कोमिन ग्राम	

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

क्रमश: —

कुल्ली प्रदर्श-3, नकल रजिस्टर्ड बयनामा
तारीरी 450000/- द्वारा लक्ष्मीपाल पुत्र
लक्ष्मीनारायण बहक प्रति० क्र.1 दि० 6.6.13
पु. सं.1 जिल्द सं. 294, पृ. सं. 119 क्रम संख्या
2013002699 प्रदर्श-5, रसीद नकल तारीरी
100 रु. 17.6.13 प्रदर्श-4 प्रस्तुत किये गये।
दौरान सुनवाई प्रति० 1 के नाम सम्मन प्रकाश पेश,
किये, जिसके बाद तामील उपरान्त होने पर
उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
लायी गयी।

बहस अंतिम सुनी गयी बहस
पर विचार किया। तनकीवार विवेचन
निम्न प्रकार है।

तनकी नम्बर 1:— इस तनकी को सिद्ध करने
का भार वादीगण पर था, वादीगण द्वारा कथन
वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किये जो इस प्रदर्श-1
ग्राम कुल्ली की भूमि खसरा नं. 2262, व 2279
वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड की प्रदर्श-2 प्रदर्श-1
की भूमि की खसरा गिरदावरी की प्रति तथा
प्रदर्श-3 उक्त भूमि का राजस्व नक्शा की
प्रदर्श-4 रजिस्टर्ड बयनामे की नकल प्राप्त
करने के परिणाम स्वरूप अदा की गयी फीस
की रसीद है।

प्रदर्श-5 वादगत भूमि का रजिस्टर्ड
विक्रय विलेख है।

उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त वादीगण
द्वारा मात्र शपथ-पत्र ही प्रस्तुत किये हैं,

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमश:

उक्त विवरण से यह प्रमाणित नहीं होता कि वादग्रस्त उक्त खसरा नम्बर २२६८ पर के प्रतिवादी नम्बर 1, तदुपरान्त उसके वारिसान अथवा पूर्व विक्रेता के वादग्रस्त भूमि पर के खातेदारी स्वत्व तिरोहित हो गये हो। या वादीगण को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग के स्वत्व प्रोद्भूत हो गये हो।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण की हैसियत अभिलिखित खातेदार आसामी या आसामी की नहीं है। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी नम्बर 1 वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार आसामी की हैसियत धारण करता है।

वादीगण द्वारा अनुतोष यह चाहा है, कि उक्त भूमि वादीगण के खेत के सामने की भूमि के फ्रंट रास्ते के रूप में काम आ रही है, उसे वैसे ही उपयोग उपभोग करते रहने दिया जावे। यदि वादीगण उक्त भूमि को रास्ते के रूप में पूर्व से प्रयोग कर रहे है तो प्रथम तो उनके द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया कि भूमि रास्ते के रूप में कार्य आ रही थी यदि वादीगण को पुराना रास्ता यदि कोई रहा हो तो धारा 251 की कार्यवाही प्रथक से प्रस्तुत करनी चाहिये थी तथा यदि

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमशः

हुक्म | हुक्म की तामील में जारी | तारीख हुक्म

नष्ट रास्ता चाहिये था प्रचलित रास्ते का विस्तार करवाना हो तो विधि अनुसार धारा 251 A. की कार्यवाही संस्थित करनी चाहिये थी, जो नहीं की गई और प्रस्तुत वाद में इस प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

प्रतिवादी नम्बर 1 की हैसियत वादग्रस्त भूमि के संबंध में अभिलिखित खातेदार की प्रतीत होती है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का सरोकार प्रमाणित नहीं है। इस आधार पर अभिलिखित खातेदार को जरिये आदेश उस व्यक्ति के लिये पाबंद नहीं किया जा सकता जो भूमि पर किसी भी प्रकार के स्वत्व नहीं रखता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनाधार पर वादीगण को न तो वादग्रस्त भूमि ख०नं० 2268 रकबा 1.50 हेक्टर के उपयोग उपभोग का अधिकारी पाया जाता है, और न ही वे प्रतिवादी नम्बर 1 के विरुद्ध स्थाई आदेश के अधिकारी पाये जाते हैं।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं० 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
सम्पतकाण्डी

क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा तनकी नम्बर 1 में अंकित / मूर्त अंकित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं।	
	वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो, कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2268 का विक्रेता को अधिकार ही नहीं था या विक्रय विधि के सुसंगत प्रावधानों का पालन करते हुए किया हो। अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के ऐसे विधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो, जिस कारण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को शून्य प्रभावी मान लिया जावे।	
	वैसे भी राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है।	
	प्रकरण में विक्रेता धारा 5 की उपधारा 37A. या 37B में परिभाषित वर्ग का भी सदस्य भी प्रमाणित नहीं है, जिसके कारण प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में किया जाने वाला विक्रय धारा 42B के अन्तर्गत स्वतः शून्य मान लिया जावे।	
	वादग्रस्त भूमि पर से किसी भी विधि के प्रावधानों में प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी स्वत्व तिरोहित होने या अवसान्	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमशः -

होते प्रमाणित नहीं है न भूमि को किसी राजकार्य हेतु अधिग्रहणादि ही प्रमाणित है अतः उक्त भूमि को राजकीय अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज किया जाना भी उचित नहीं पाया जाता है

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है

तनकी नम्बर 3:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रति० या प्रति० नम्बर 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 से तथा पूर्व विवेचना अनुसार यह तय है कि प्रतिवादी नम्बर 1 भी वादगत भूमि के बारे में रेविन्यू रिकार्ड टीनेन्ट की है बताया तथ्य प्रमाणित नहीं है

अतः यह तनकी अंशतः बहक प्रतिवादी नं० 1 तय की जाती है

तनकी नम्बर 4:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति० नं. 1 पर था धारा 88 एवं 188 के वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, किन्तु विद्वान

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्ष को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अन्य तनकियात के विनिश्चयाधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकी नं: 5:— तनकी नम्बर 1 से 3 व 4 के विवेचन तथा निष्कर्ष के अनुसार यह तय है, कि वादगत भूमि पर से प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त होना प्रमाणित नहीं है। वादीगण को वादगत भूमि पर वादीगण को स्वत्व तय नहीं किये जा सकते।

वादीगण वादगत भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करना चाहते हैं, तो इस अनुतोष हेतु वादीगण धारा 251 या 251A के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है, किन्तु इस प्रकरण में उन्हें इस प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।

प्रतिवादी नं: 1 के विरुद्ध वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना भी उचित नहीं पाया जाता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर दोनों वाद वादीगण खारिज किये जाते हैं तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो निर्णय की एक एक प्रति दोनों प्रकरणों में संलग्न रखी जावे।

निर्णय आज दि० 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया।

(देशल दान)
उपखण्ड अधिकारी

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [illegible]

(आर्डर 20, रूल 6-9, जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम [illegible]

व इजलास देशलराम (I.A.S.)

[illegible] बनाम [illegible] एवं [illegible] बनाम [illegible]

[illegible] 1955

मुकद्दमा नं. 65/2013 एवं 67/2013 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ देशलराम (I.A.S.)

बहाजरी श्री [illegible] एड. निस्बत दावा मुद्दई के

निस्बतन मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिग्री की जाती है कि

दोनों वाद वादीगण खारिज किये जाते हैं।

फीस —— मुबलिग —— बाबत ——

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह —— X —— फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक —— X —— को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के साथ तारीख 25 माह 02 2021

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा [illegible]

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प बवह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....						
मीजान....		—	—	मीजान ...		—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे

रा. मु. नो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]